केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

पंचायत निर्वाचन

निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)
एवं
सहायक निर्वाचन अधिकारियों (सहायक रिटर्निंग आफिसर्स)
के उपयोग हेतु

निर्देश पुस्तिका
2010

राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय),
उत्तर प्रदेश,
पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ।

प्रस्तावना

देश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़, सक्षम और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात् उ0प्र0 पंचायत विधि संशोधन अधिनियम (संख्या–9), 1994 प्रभावी हुआ। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या 1860/33–3–76 जी/94 के द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ट के उपबंध (1) के अधीन दिनांक 23 अप्रैल,1994 से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया।

उक्त के क्रम में उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम, 1947 यथा संशोधित, 1994 की धारा 12 ख ख एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित, 1994 की धारा 264–ख (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से 2009 तक की अवधि में उ0प्र0 की त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रथम सामान्य निर्वाचन, वर्ष 2000 में द्वितीय सामान्य निर्वाचन तथा वर्ष 2005 में तृतीय सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये गये और तब से निरन्तर समय–समय पर उप निर्वाचन भी कराए जा रहे हैं।

यद्यपि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से सम्बन्धित उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम,1947 यथा संशोधित, 1994 तथा उसके अधीन बनाई गई उ0प्र0 पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित, 1994 तथा उसके अधीन बनाई गई उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 में व्यापक प्रावधान दिए गए हैं फिर भी संबंधित विधियों और नियमों के आशय और निहितार्थ को स्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स) एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों (सहायक रिटर्निंग आफिसर्स) के उपयोग हेतु सरल निर्देश पुस्तिका तैयार की गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया के प्रारम्भ से अंत तक निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, अतः उन्हें निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं की सम्यक् और स्पष्ट जानकारी होनी आवश्यक है। इस निर्देश पुस्तिका में पंचायत चुनाव की घोषणा के उपरान्त विभिन्न स्तर पर की जाने वाली सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सविस्तार उल्लेख किया गया है और पंचायतों से सम्बन्धित अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाई गई नियमावलियों एवं निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सुसंगत प्रावधानों के उद्धरण भी संलग्न किये गये हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह निर्देश पुस्तिका जिला मजिस्ट्रेटों/जिला निर्वाचन अधिकारियों (पं0), निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा पंचायत चुनावों से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों का समुचित मार्गदर्शन करेगी और उनके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

(राजेन्द्र भौनवाल)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0

दिनांकः जनवरी,2010

भाग–1

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रारम्भिक	5–7
2	मतदान केन्द्र	8–9
3	मतदान कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण	10
4	निर्वाचन सामग्री	11
5	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	12–14
6	नाम निर्देशन पत्रों की जांच	15–16
7	उम्मीदवारी वापस लेना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	17
8	निर्विरोध निर्वाचन	18
9	मतपत्र और मतपेटियां	19
10	मतदान	20–22
11	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	23–24

भाग–2

परिशिष्ट

	विषय	पृष्ठ संख्या
1	चार पदों/स्थानों के पंचायत निर्वाचन में मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था	26
1क	दो स्थानों/पदों के पंचायत निर्वाचन की स्थिति में पंचायत निर्वाचन में मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था	27
2	ग्राम पंचायत का निर्वाचन–प्रधान के लिए नाम निर्देशनपत्र	28
2क	ग्राम पंचायत का निर्वाचन–सदस्य के लिए नाम निर्देशनपत्र	29
2ख	क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन–सदस्य के लिए नाम निर्देशनपत्र	30
2ग	जिला पंचायत का निर्वाचन–सदस्य के लिए नाम निर्देशनपत्र	31
3	नामनिर्देशन की सूचना	32
4	संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–9 सन् 1994 यथासंशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण	33–34
5	उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–9 सन् 1994 यथासंशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण	35–38
6	उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण	39–45
7	उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण	46–51
8	विधिमान्य नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची	52
9	नाम निर्देशन वापस लेने वाले उम्मीदवारों की सूची	53
10	पंचायत निर्वाचन लाग बुक	54

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अंचल के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी मतदान प्रक्रिया को भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) के अंतर्गत सम्पन्न कराता है। निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पादित कराने का जिले में पूरा दायित्व जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी) पर होता है जो अपने स्तर से जिले में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियुक्त करता है। क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन अधिकारियों की सहायता के लिए तथा निर्वाचन के कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी (सहायक रिटर्निंग आफिसर) की भी नियुक्तियॉ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयोग के निर्देशानुसार की जाती हैं।

2. जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों या पंचायतों के निर्वाचन की तिथियॉ अधिसूचित की जाती हैं तब निर्धारित तिथियों पर विभिन्न स्तरों के पदों के उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरम्भ होती है। इस प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं :–

I. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना।

II. मतदान केन्द्रों का चयन करना एवं उनकी स्वीकृति आयोग से प्राप्त करना।

III. निर्वाचन हेतु सामग्री की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना।

IV. निर्वाचन कार्य से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति तथा मतदान दलों का गठन करना।

V. निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कर्मचारियों को समय से प्रशिक्षण देना।

VI. यातायात की व्यवस्था करना।

VII. निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतदान दलों को निर्वाचन से सम्बन्धित सामग्री समय से उपलब्ध कराना।

VIII. जिले के विभिन्न त्रिस्तरीय पंचायतों या पंचायतों के निर्वाचन में मतदान के लिए विस्तृत व्यवस्था करना।

IX. पंचायतों के निर्वाचन में मतदान केन्द्रों तथा मतदान स्थलों पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निश्चित संख्या में मजिस्ट्रेटों की तैनाती तथा पुलिस व्यवस्था बनाए रखना।

X. मतदान पूर्ण होने के बाद तत्सम्बन्धी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग व शासन को उपलब्ध कराना।

XI. आयोग द्वारा निर्वाचन की देख–रेख के लिए नियुक्त प्रेक्षकों को पूरी मतदान प्रक्रिया की जानकारी देना तथा उनके क्षेत्रीय भ्रमण आदि के लिए व्यवस्था करना।

4. उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम (संख्या–9/94) तथा उसके अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम 3(2), 4(1) तथा नियम 5(1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन के लिए जनपद में तैनात डिप्टी कलेक्टर, जिला बन्दोबस्त अधिकारी, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप संभागीय अधिकारी (कृषि) तथा इनके स्तर के अन्य जिला स्तर के अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित करने और जनपद में तैनात नायब तहसीलदार, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक, सहायक खण्ड विकास अधिकारी और इनके स्तर के अन्य अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित, 1994 तथा उसके अधीन बनायी गई उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम 4(1), 5(1) तथा 6(1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले की क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन के लिए जनपद में तैनात डिप्टी कलेक्टर, जिला बन्दोबस्त अधिकारी, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप संभागीय अधिकारी (कृषि) तथा इनके स्तर के अन्य जिला स्तर के अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित करने और जनपद में तैनात नायब तहसीलदार, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक, सहायक खण्ड विकास अधिकारी और इनके स्तर के अन्य अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जनपद में तैनात जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी स्वयं या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम् अपर जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी तथा जनपद में तैनात जिला स्तरीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, खण्ड विकास अधिकारी और इनके स्तर के अन्य अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा किंतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), खण्ड विकास अधिकारियों एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में तभी नियुक्त करेंगे जब जनपद में अन्य अधिकारी उपलब्ध न हों। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों को उनकी तैनाती वाले विकास खण्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में सहायक निर्वाचन अधिकारी (सहायक रिटर्निंग आफिसर) निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी कार्य करेंगे। किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता होगीः–

I. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयसारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया की सूचना एवं प्रचार सार्वजनिक स्तर पर (प्रदर्शित) करना।
II. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करना तथा उम्मीदवारों से जमानत की धनराशि जमा कराना।
III. प्रस्तुत किये गये नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) किया जाना।
IV. किसी भी नाम निर्देशन पत्र को निरस्त करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त कारणों का संक्षेप में उल्लेख करना एवं निरस्त किये गये नाम निर्देशन पत्रों की सूची तैयार करना।
V. उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य।
VI. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करना।
VII. उम्मीदवारी वापस लेने के बाद सही पाये गये नाम निर्देशन पत्रों, निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार/उम्मीदवारों तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना।
VIII. निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार/उम्मीदवारों की घोषणा।
IX. मतदान दलों को प्रशिक्षण/पूर्वाभ्यास कराना।
X. मतदान दलों को मतदान तथा अन्य निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराना।
XI. मतदान दलों की समय से रवानगी कराना।
XII. मतदान पर्यवेक्षण करना।
XIII. मतदान सम्पन्न होने के उपरान्त मतपेटियों की वापसी, सशस्त्र पुलिस की अभिरक्षा में रोशनदान/खिड़कियों को बन्द कराना, मतपेटियों को कमरे में रखवाना, दरवाजे का ताला उपस्थित उम्मीदवारों/नामित अभिकर्ताओं के सामने मुहरबन्द कराना तथा इसका अभिलेख रखा जाना।
XIV. मतगणना केन्द्र पर प्रकाश, फर्नीचर, पानी, शामियाना तथा माइक आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था कराना एवं मतगणना की कार्यवाही करना।
XV. परिणाम घोषित करके परिणाम की एक अतिरिक्त प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को अगले दिन प्रेषित करना।
XVI. मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन से सम्बन्धित कागजातों को पूर्ण अभिरक्षा में रखा जाना।
XVII. उम्मीदवारों के निर्वाचन खर्च के विवरण का ठीक प्रकार से परीक्षण करना और तत्सम्बन्धी सूचना आयोग को उपलब्ध कराना।

अध्याय–2
मतदान केन्द्र

राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक मतदान केन्द्र अवश्य स्थापित किया गया है। निर्वाचन में लगे कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह स्पष्ट नहीं है कि मतदान केन्द्र व मतदान स्थल किसे कहते हैं। सामान्यतया मतदान हेतु किसी सार्वजनिक भवन या स्कूल आदि में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाता है। एक मतदान केन्द्र के अन्तर्गत एक या एक से अधिक मतदान स्थल बनाए जाते हैं ताकि उस मतदान स्थल के अन्तर्गत आने वाले मतदाता निर्धारित अवधि के भीतर सुचारू रूप से अपना मतदान कर सकें। अतः निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा देना आवश्यक है कि मतदान केन्द्र **(Polling Centre)** एवं मतदान स्थल **(Polling Station)** में क्या अन्तर है ताकि उनके द्वारा निर्वाचन कार्यों में सही शब्दों का प्रयोग किया जाए और उन्हें किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

त्रस्तरीय पंचायतों के 4 स्थानों/पदों (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत) का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रायः एक साथ अथवा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत का निर्वाचन एक साथ तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन एक साथ किया जाता है। उक्त चारों स्थानों/पदों के एक साथ निर्वाचन की स्थिति में सामान्य रूप से एक मतदान स्थल में लगभग 500 मतदाता तथा उक्त दो स्थानों/पदों के एक साथ निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में लगभग 800 मतदाता का मानक आयोग द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कई मतदान स्थल बनाए जा सकते हैं।

निर्बल वर्गों की आबादी में मतदान केन्द्रों की स्थापनाः–

सामान्य निर्वाचनों में यह भी शिकायत रहती है कि गांव के शक्तिशाली एवं दबंग व्यक्तियों द्वारा अपना बल और दबाव प्रयुक्त कर समाज के निर्बल वर्ग के मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं करने दिया जाता है, इसलिए निर्बल वर्गों की बस्ती में मतदान केन्द्र बनाने की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व ही पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्बल वर्गों की बस्ती में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने हेतु आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जाये।

मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था :–

आपको विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन में चार पदों/स्थानों पर चुनाव की स्थिति में एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होते हैं। दो पदों/स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में एक पीठासीन अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी नियुक्त होते हैं और यथास्थिति दो या एक मतदान कक्ष (बूथ) बनाये जाते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए भी मतदान प्रक्रिया के सतत अवलोकन हेतु बैठने का स्थान

सुनिश्चित करना होता है। इसके साथ ही साथ मतदाताओं को मतदान स्थल तक आने और मतदान के पश्चात् बाहर जाने के लिए अलग–अलग रास्ते भी निर्धारित करने होते हैं। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2 व 2क) के अनुसार आंतरिक व्यवस्था निर्धारित की जानी चाहिए परन्तु मतदान स्थल में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रख करके आंशिक फेरबदल किया जा सकता है।

विगत सामान्य निर्वाचन में मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई थी। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी उनमें संशोधन, फेरबदल अथवा कुछ नये मतदान केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक समझते हों तो उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के पश्चात् आवश्यक संशोधन, फेरबदल अथवा नए मतदान केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं।

अध्याय–3
मतदान कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

1. पंचायतों के निर्वाचन में मतदान स्थलों के लिए मतदान कर्मियों की नियुक्तियां की जाती हैं। सामान्यतः जितने मतदान स्थल होते हैं उससे 5 से 10 प्रतिशत अधिक मतदान दलों के गठन की व्यवस्था की जाती है। अतिरिक्त दल आरक्षित दलों के तौर पर किसी आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में प्रयोग में लाये जाते हैं। चार पदों/स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी, चार मतदान अधिकारी तथा दो पदों/स्थानों पर निर्वाचन की स्थिति में एक पीठासीन अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। पीठासीन अधिकारियों का चयन करते समय यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी सार्वजनिक संस्थान का कोई कर्मचारी होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के लिए वरिष्ठ एवम् अनुभवी कर्मचारी/अधिकारी का चयन किया जाना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि मतदान दल में पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति न की जाए और यदि उनकी नियुक्ति किया जाना अपरिहार्य हो तो कम से कम उस पंचायत में उनको निर्वाचन ड्यूटी पर न लगाया जाए जहाँ के वे कार्यरत कर्मचारी हैं।
2. पीठासीन अधिकारी की भाँति मतदान अधिकारियों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रथम मतदान अधिकारी को इस योग्यता/अनुभव का होना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्वहन कर सके।
3. मतदान दल का गठन करते समय विभिन्न कार्यालयों और विभागों से समुचित रूप से स्टाफ मतदान दल में लगाए जाने चाहिए।
4. प्रत्येक मतदान दल में एक महिला कर्मचारी यथासंभव अवश्य रखा जाना चाहिए ताकि महिला मतदाताओं से सुचारू रूप से वोट डलवाया जा सके। मतदान दलों का गठन करते समय तथा मतदान स्थलों पर ड्यूटी लगाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए :–

क. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि निर्वाचन लड़ रहे किसी उम्मीदवार के नजदीकी रिश्तेदार हों उन्हें उस उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले मतदान स्थलों पर यथासम्भव नियुक्त न किया जाए।

ख. महिला मतदान अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मचारी को उस क्षेत्र के मतदान स्थल पर नियुक्त न किया जाए जिस क्षेत्र के अंतर्गत वह निवास करता है।

ग. मतदान कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की व्यवस्था उस स्थान पर की जाए जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए मतदान कर्मी समुचित रूप से बैठ सकें। मतदान कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त, अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाना चाहिए। सामान्यतः मतदान कार्मिकों को दो बार प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य है। त्रिस्तरीय पंचायतों या पंचायतों के विभिन्न स्तरों के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) को अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) को मतदान प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए।

6. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासा के समाधान पर विशेष बल दिया जाये। इस कार्य के लिए प्रश्न–उत्तर की प्रणाली अपनायी जा सकती है। प्रशिक्षण के समय नमूने के मतपत्रों का उपयोग किया जा सकता है। मतदान के पूर्वाभ्यास के समय पर्याप्त संख्या में मतपेटी रखी जाएं तथा प्रशिक्षणार्थियों के छोटे–छोटे समूह बनाकर उनमें उन्हें मतपेटियों को खोलने तथा बन्द करने का अभ्यास कराया जाए। मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत होने पर की जाने वाली जॉच की प्रक्रिया तथा निविदत्त मत की स्थिति उत्पन्न होने पर की जाने वाली कार्यवाही को ठीक प्रकार से समझा दिया जाए। मतपत्र का लेखा तैयार करने की प्रक्रिया उदाहरण के साथ विस्तार से बता दी जानी चाहिए।

अध्याय–4
निर्वाचन सामग्री

1. प्रत्येक मतदान दल को निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में ही जिला स्तर पर निर्वाचन सामग्री की कितनी आवश्यकता पड़ेगी इसका अनुमान लगा करके इसकी व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। क्षेत्र स्तर पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) को भी अपने क्षेत्र में आने वाले मतदान स्थलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता का अनुमान लगाने के बाद आवश्यक सामग्री जिला कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक मतदान टोली के लिए अपेक्षित मतदान सामग्री का विवरण पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में दिया गया है।
2. प्रत्येक मतदान स्थल के लिए गोदरेज टाइप की 2 मतपेटियों की आवश्यकता पड़ेगी। निर्वाचन अधिकारी का दायित्व है कि वह जिला निर्वाचन कार्यालय से मतपेटियां प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि मतपेटियॉ अच्छी हालत में हैं तथा आसानी से उपयोग में लायी जा सकने योग्य हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी मतदान दल को दोषपूर्ण (डिफेक्टिव) मतपेटी न प्रदान कर दी जाए।
3. सामान्यतः निर्वाचन सामग्री मतदान दल को निर्वाचन आरम्भ होने के 2 या 3 दिन पूर्व दी जाती है। निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) का यह कर्तव्य है कि वह मतदान के आखिरी प्रशिक्षण जो मतदान के 2 या 3 दिन पूर्व होता है, के दौरान निर्वाचन सामग्री वितरित करा दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सभी मतदान दलों को आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। कुछ अतिरिक्त निर्वाचन सामग्री के थैले निर्वाचन अधिकारी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि यदि किसी मतदान दल के पास किसी आइटम की कमी पड़ जाती है तो वह निर्वाचन अधिकारी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा आपूर्ति की जा सके।

   सभी सामग्री देने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो निर्वाचन सामग्री दी जा रही है वह उपयोग के योग्य है क्योंकि निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय छोड़ने के बाद मतदान स्थल पर निर्वाचन सामग्री के बदले जाने का कोई अवसर नहीं रह जाता है और यह सम्भव हो सकता है कि सामग्री के अभाव में निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो जाए।

अध्याय–5
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों या पंचायतों के निर्वाचन का कार्यक्रम विभिन्न पदों/स्थानों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ प्रारम्भ होगा। निम्नलिखित स्थानों/पदों पर सीधे निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाते हैं:–
    1. सदस्य ग्राम पंचायत
    2. प्रधान ग्राम पंचायत
    3. सदस्य क्षेत्र पंचायत
    4. सदस्य जिला पंचायत
2. नाम निर्देशन पत्रों के प्रारूप पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के नियत दिनांक के पूर्व पर्याप्त संख्या में इन प्रारूपों की व्यवस्था करा लें। एक प्रत्याशी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशनपत्र प्रस्तुत कर सकता है। पंचायतों के चार स्थानों/पदों, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के नाम निर्देशनपत्रों के प्रारूप का नमूना निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ट 2, 2क, 2ख व 2ग में क्रमशः प्रदर्शित है।

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

    आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य ट्रेजरी चालान/शासकीय रसीद से जमा कराकर नाम निर्देशन पत्र पर जमा का विवरण अंकित कर उम्मीदवार को जारी किये जायेंगे।
3. ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र विकास खण्ड मुख्यालय पर प्राप्त किये जाएंगे। यह नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किए जाएंगे। उक्त निर्दिष्ट अधिकारियों से जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर प्राप्त किये जायेंगे।
4. नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के स्थान पर निर्वाचक नामावली की अधिकृत प्रति निम्न प्रकार उपलब्ध होना आवश्यक है:–

1.	जिला स्तर पर (जिला पंचायत के सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का स्थान)	पूरे जिले की ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली
2.	विकास खण्ड स्तर पर (क्षेत्र पंचायत के सदस्य/ग्राम पंचायत के सदस्य तथा प्रधान के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का स्थान)	पूरे विकास खण्ड के ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली

5. नाम निर्देशन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी को ही प्रस्तुत हो सकेगा। पंचायत निर्वाचन के लिए एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकेगा, जो विशेष रूप से इसी कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
6. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का तथा वापसी का समय अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाता है यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने या नाम वापस लेने के निर्दिष्ट समय तक जो प्रत्याशी, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपस्थित हो चुके हों किंतु नाम निर्देशन पत्र या उनकी वापसी की सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लग रहा हो तो उस समय तक जितने प्रत्याशी उस कक्ष में आ चुके हों वे उन्हें पर्ची दे दें और केवल ऐसे प्रत्याशियों को ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने या उनकी वापसी की सुविधा प्रदान करें।
7. नाम निर्देशन के समय और स्थान पर जहाँ वे प्राप्त किये जा रहे हों, पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी का लगातार रहना आवश्यक है।
8. ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन में अलग–अलग प्रारूप में नाम निर्देशनपत्र प्रस्तुत किये जाएंगे।
9. नाम निर्देशन पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उस ग्राम पंचायत जिसके अन्तर्गत ग्राम आता हो, के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के अर्ह है। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र तथा निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित अंश की प्रतिलिपि लिया जाना आवश्यक है। जाति प्रमाणपत्र केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आयोग द्वारा जारी आदेश संख्याः 688/रा0नि0आ0अनु0–4/2003, दिनांक 21 जून,2003 में वांछित घोषणापत्र/शपथपत्र जैसी स्थिति हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संवीक्षा के समय इन बिन्दुओं पर आपत्ति आने पर पक्ष विपक्ष से प्रमाण/साक्ष्य लिया जा सकता है।
10. प्रस्तावक के रूप में :–
    क. ग्राम पंचायत के सदस्य के मामले में सम्बन्धित वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा।
    ख. ग्राम प्रधान के निर्वाचन के मामले में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी मतदाता द्वारा
    ग. क्षेत्र पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में विकास खण्ड के भीतर क्षेत्र पंचायत के जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड से प्रत्याशी हो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के किसी मतदाता द्वारा और
    घ. जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मामले में जिले की जिला पंचायत के जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड से प्रत्याशी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के किसी मतदाता द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर होंगे।

11. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उम्मीदवारों हेतु समय–समय पर निर्धारित जमानत की धनराशि जमानत के रूप में निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास तत्काल जमा करा दें।

    जहॉ किसी प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र किसी एक ही पद हेतु निर्वाचन के लिए प्रस्तुत किया गया हो, वहॉ इस नियम के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप (जमानत) की अपेक्षा नहीं की जाएगी। निर्वाचन में कुल डाले गये मतपत्रों के 1/5 अंश तक मत यदि कोई उम्मीदवार नहीं प्राप्त करता है तो उसकी निक्षेप (जमानत) की यह धनराशि जब्त हो जायेगी, अन्यथा वापस कर दी जाएगी।

12. नाम निर्देशन पत्र जैसे ही प्रस्तुत किये जाएं उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर क्रम संख्या (यदि अंकित न हो तो) प्राप्त करने की तारीख और समय अंकित किया जाना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक ही पद के लिए दूसरा या तीसरा या चौथा नाम निर्देशनपत्र प्रस्तुत किया है तो यथास्थिति नामांकन पत्रों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का उल्लेख किया जाएगा।
13. निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली का क्रमांक आदि अंकित करने में कोई लिपिकीय त्रुटि हो तो उसी समय उम्मीदवार को बताकर ठीक करवा लिया जाए।
14. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने पर निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के द्वारा प्रत्याशी को निर्धारित प्रारूप में रसीद और नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के लिए नियत दिन, समय, स्थान की सूचना निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार दी जायेगी।
15. क्या प्रत्याशी ने अपना नाम साफ–साफ लिखा है जो आसानी से पढ़ने में आ जाता है ऐसा न होने पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में गलती हो सकती है।
16. निर्वाचन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन की सूचना नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के स्थान के बाहर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। प्रत्याशी के जितने नाम निर्देशन पत्र हैं, उन सबका ब्यौरा इसमें रहेगा। नाम निर्देशन की सूचना का प्रारूप परिशिष्ट–6 में संलग्न है।

अध्याय–6
नाम निर्देशन पत्रों की जॉच

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा नियत दिनांक एवं समय पर प्रारम्भ कर दी जायेगी। संवीक्षा के दौरान निर्वाचन अधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं :–

1. प्रत्याशी तथा उसका प्रस्तावक
   - क. प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता अथवा,
   - ख. प्रत्याशी द्वारा लिखित में प्राधिकृत अन्य एक मतदाता।
2. संवीक्षा अलग–अलग पद के लिए क्रम से की जाये ताकि कक्ष में भीड़ न हो। किसी प्रत्याशी या उसकी ओर से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये गए हों तो उन्हें एक साथ रख लिया जाए और एक–एक करके उसकी संवीक्षा की जाए। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा अलग–अलग निर्दिष्ट सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सौंप दिया जाए।
3. प्रत्याशी को, जो अपने से सम्बन्धित पद के लिए हो, अपेक्षा करने पर नाम निर्देशन पत्रों के अवलोकन की समुचित सुविधा दी जा सकती है।
4. निम्नलिखित आधारों पर नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकृत किया जा सकता हैः–
   - क. उम्मीदवार स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के निमित्त संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 यथा संशोधित, 1994 (परिशिष्ट–4) अथवा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम,1961 यथा संशोधित, 1994 (परिशिष्ट–5) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन अनर्हित है।
   - ख. उम्मीदवार संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 यथा संशोधित, 1994 की धारा–5 क अथवा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित,1994 की धारा–13 या धारा–26 जैसी भी स्थिति हो, के अधीन स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने हेतु अनर्हित है।
   - ग. उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 (परिशिष्ट–6) के नियम–15 अथवा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (परिशिष्ट–7) के नियम–16 जैसी भी स्थिति हो, के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है।
   - घ. प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्रामाणित नहीं हैं या कपट द्वारा प्राप्त किये गये हैं।
   - ड. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के लिए आरक्षित वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में प्रत्याशी का उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला (जैसी भी स्थिति हो) न होना।
   - च. राजनीति में अपराधीकरण विषयक सूचना प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 21 जून,2003 में वाछित घोषणापत्र/शपथपत्र।

5. निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन के बारे में समाधान कर लें कि नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य है। यदि नाम निर्देशन पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है तो उनके द्वारा विनिश्चय करने के लिए संक्षिप्त जांच करनी चाहिए। यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/सहायक निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) प्रथम दृष्ट्या उस आपत्ति को खारिज नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में प्रत्याशी को उसके खण्डन का अवसर देना चाहिए और समय मांगने पर अधिक से अधिक अगले दिन अथवा नाम वापसी के लिए निर्धारित समय तक का समय दिया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रत्येक आपत्ति पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करना होगा।

6. यह ध्यान रखा जाए कि किसी आपत्ति के तथ्यों को सिद्ध करने का भार सामान्यतया आपत्तिकर्ता पर है। सुसंगत ग्राम की निर्वाचक नामावली, उम्मीदवार के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के सम्बन्ध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगी, जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि उम्मीदवार निरर्हित है। संवीक्षा में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी भूल या ऐसी त्रुटि जो सारभूत प्रकार की नहीं है, पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सामान्यतया उम्मीदवारों को यथा सम्भव निर्वाचन में खड़े होने का अवसर देना चाहिए। कोई नाम निर्देशन पत्र मात्र इस आधार पर कदापि अस्वीकार न किया जाए कि संवीक्षा के समय उम्मीदवार उपस्थित नहीं है।

7. आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने सम्बन्धी विनिश्चय को अभिलिखित किया जायेगा। यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने का निर्णय हो तो उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाएगा।

8. यदि किसी प्रत्याशी ने अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हों और उनमें से यदि एक भी स्वीकार हो जाए, तो प्रत्याशी सम्यक् रूपेण नाम निर्दिष्ट समझा जाएगा।

9. समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा कर लिए जाने तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने सम्बन्धी विनिश्चय को अभिलिखित करने के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उन प्रत्याशियों की, जिनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं, की सूची तैयार करेगा और संवीक्षा समाप्त होने के ठीक पश्चात् उस सूची को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इस सूची में प्रत्याशियों के नाम वर्णानुक्रम में (हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में) लिखे जाएंगे। ऐसे विधि मान्य नाम निर्देशित प्रत्याशियों की सूची निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–8) में तैयार की जाएगी।

अध्याय–7
उम्मीदवारी वापस लेना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

कोई भी प्रत्याशी लिखित नोटिस द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे और ऐसी लिखित नोटिस निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नाम वापसी के लिए नियत दिनाँक व समय के बीच में दी जाएगी। एक बार उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना देने के बाद ऐसी सूचना को वापस नहीं लिया जा सकेगा। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में सूचना विकास खण्ड स्तर पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी तथा सदस्य जिला पंचायत के मामले में यह सूचना निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी (सहायक रिटर्निंग आफिसर) को जिला मुख्यालय पर दी जाएगी।

2. उम्मीदवारी वापस लिए जाने की सूचना उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु ऐसी सूचना पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
3. उम्मीदवारी वापस लिए जाने की सूचना पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रामाणिकता तथा प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में समाधान कर लेना चाहिए। यदि नाम वापसी के समय उम्मीदवार स्वयं उपस्थित न हो तब और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है।
4. यदि उम्मीदवारी वापस लिए जाने की सूचना प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाए तो इसे तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जबकि उसके साथ नाम निर्देशनपत्र प्रस्तुत करने के समय उसे दी गई रसीद संलग्न की गई हो।
5. जिन उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली हो, उनकी सूची निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यह सूची निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट–9**) में होगी।

उम्मीदवारी वापस लेने का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से आशय उन उम्मीदवारों से है जिनके नाम संवीक्षा में वैध पाए गए हैं और जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है। यह सूची वर्णमाला (हिन्दी देव नागरी अक्षरों) के क्रम में तैयार की जाएगी।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होते ही उम्मीदवारों को वर्णमाला (हिन्दी देवनागरी अक्षरों) के क्रम में निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों को सभी उम्मीदवारों को आवंटित करेंगे। चूँकि पंचायत निर्वाचन राजनैतिक दलों के आधार पर नहीं लड़े जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीक ही आवंटित किए जाएंगे।

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतीक की प्राप्ति स्वरूप उससे रसीद भी अनिवार्य रूप से ली जाएगी जिसे अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा।

अध्याय–8
निर्विरोध निर्वाचन

पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार रहता है अथवा किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाता है और वह नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाया जाता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् निर्वाचित घोषित करेगा।

2. निर्वाचन अधिकारी ऐसे निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम और उनके स्थानों का प्रकार (आरक्षित है या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए हैं, की सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा।

3. निर्विरोध निर्वाचन से सम्बन्धित घोषणा नाम वापसी के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अत्यन्त तत्परता से प्रेषित की जाए ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे जिले में इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर राज्य निर्वाचन आयोग को शीघ्रता से भेज सकें।

अध्याय–9
मतपत्र और मतपेटियां

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम 25 (1) में प्रावधान है कि निर्वाचन में प्रयोग होने वाला प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र और डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मतपत्र मुद्रित कराए जाते हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण अनुमान के आधार पर निर्वाचन की तिथि से पूर्व ही उम्मीदवारों के नाम रहित निर्वाचन प्रतीक सहित मतपत्र मुद्रित करा लिए जाते हैं।

2. त्रिस्तरीय पंचायतों में चार स्थानों/पदों–सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए मतदान होता है। अतः मतदाताओं की सुविधा के लिए तथा निर्वाचन के बाद मतगणना के समय, स्थान/पदवार मतपत्र छाँटने के लिए मतपत्रों का मुद्रण अलग–अलग रंग के कागजों पर कराया जाता है जो निम्नांकित प्रकार के हैं :–

1.	प्रधान	–	हरा
2.	ग्राम पंचायत सदस्य	–	सफेद
3.	क्षेत्र पंचायत सदस्य	–	नीला
4.	जिला पंचायत सदस्य	–	गुलाबी

3. निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर सुभेदक सील (Distinguishing Seal) अवश्य लगा लिया जाए।
4. मतपत्रों के वितरण से पूर्व उस पर क्रमांक लिखे होने अथवा अंकित होने को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यह क्रमांक मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर एक सा होना चाहिए।
5. मतदान दलों को मतपत्रों का वितरण उनकी रवानगी के दिन किया जाना चाहिए। प्रत्येक दशा में पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र वितरण के स्थान से सीधे मतदान स्थलों को भेजा जाए और उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी लगाए जाएं।
6. त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में गोदरेज टाइप मतपेटियां प्रयोग में आती हैं।
7. मतपेटियों को प्रयोग करने की विधि निर्वाचन के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को भलीभॉति बता देनी चाहिए। यह उपयुक्त होगा कि सभी पीठासीन अधिकारी मतपेटियों को खोलने व उन्हें बंद करने का अभ्यास प्रशिक्षण के दौरान कर लें।
8. निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि जिला कार्यालय (पंचायत) से मतपेटियां प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सभी मतपेटियॉ ठीक हालत में हैं।

अध्याय–10
मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदान कराये जाने वाले सभी दलों को निर्वाचन से सम्बन्धित सभी आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध करा दी गयी हैं तथा सभी मतदान स्थल दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार हो गए हैं।

2. पीठासीन अधिकारियों (मतदान अध्यक्षों) और मतदान अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा जिन कर्मचारियों के आचरण के बारे में थोड़ी सी भी आशंका हो, उनको मतदान कार्मिक नियुक्त न किया जाए तथा विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के मिले–जुले दल को एक मतदान स्थल पर तैनात किया जाए, परन्तु इस दल का कोई भी कर्मी उस मतदान स्थल के किसी भी उम्मीदवार का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए।

3. विभिन्न मतदान अभिकर्ताओं को मतदान स्थल के अन्दर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उनका स्थान यथासम्भव प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारी के पीछे होना चाहिए जिससे कि किसी मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में यदि वे आपत्ति करना चाहें तो कर सकें, परन्तु उनको मतपत्र का क्रमांक नोट नहीं करने देना चाहिए। पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि मतदान स्थल के भीतर धूम्रपान या मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा।

4. पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार है कि मतदाता की पहचान के लिए या अपनी मदद हेतु किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, परन्तु यदि पुलिस कर्मी, ग्राम का चौकीदार या राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी की सहायता ली जा रही है तो उसको मतदान स्थल के बाहर नियुक्त किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर ही, जब मतदाता की पहचान करनी हो तभी बुलाया जाए। यदि कोई मतदाता अनधिकृत पर्ची अपने साथ लेकर आता है तो उस पर्ची के अनुसार पहचान नहीं करनी चाहिए तथा जिस मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची हो उसे देखकर अच्छी तरह से मतदाता की सही पहचान के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। महिला मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव प्रत्येक मतदान दल में एक महिला मतदान अधिकारी भी तैनात होना चाहिए। मतदान स्थेल के भीतर केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैंः–

    1. मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) तथा मतदान अधिकारी।
    2. निर्वाचन/मतदान कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तैनात अधिकारीगण।
    3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति।
    4. उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता तथा सम्बन्धित मतदान अभिकर्ता।
    5. किसी मतदाता के साथ गोद में कोई बच्चा हो।
    6. नेत्रहीन अथवा विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति।
    7. और कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) अधिकृत करें।

यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि निर्वाचन ड्यूटी (कार्य) से सम्बन्धित अधिकारियों में केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री व जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हैं तथा सामान्य तौर पर पुलिस अधिकारी वर्दी में भी मतदान स्थल के अन्दर नहीं जा सकते। वे उसी समय अन्दर जायेंगे जब पीठासीन अधिकारी को उनकी आवश्यकता हो।

5. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) द्वारा समस्त उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति दिखाई जाए तथा पीठासीन अधिकारी को दो घोषणापत्र हस्ताक्षरित करने होंगे, एक निर्वाचन प्रारम्भ होने से ठीक पहले और दूसरा निर्वाचन समाप्त होने के ठीक पश्चात् जिनका प्रारूप पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध है। पीठासीन अधिकारी को इस आशय की घोषणा तभी हस्ताक्षरित करनी होगी जब वह नयी मतपेटी प्रयोग करें।

6. प्रत्येक मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि मतदाता के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा मतपत्र के प्रतिपर्ण (काउंटर फाइल) पर लेना आवश्यक है यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने या निशान अंगॅूठा लगाने से इन्कार करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा। मतपत्र देने के पश्चात् मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में उसके नाम को रेखांकित किया जाएगा, यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने ( ) का चिह्न लगाया जाएगा।

7. मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही मतपत्र दिये जाने से पहले लगाई जायेगी जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से यह व्यक्ति पुनः मत न डाल पायें। मतदाता को मतपत्र देते समय सम्बन्धित मतदान अधिकारी यह देख लें कि ऐसे व्यक्ति की उंगली पर अमिट स्याही लगी है अथवा नहीं। मतदाता को मतपत्र देने से पहले पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पीछे अपने पूरे हस्ताक्षर करेंगे।

8. मतों की गोपनीयता भी अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई मतदाता मतपत्र को सबके सामने खोलकर निशान लगा रहा है अथवा निशान लगाकर सबको दिखा रहा है तो ऐसे मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा और ऐसे मतपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसा मतपत्र वापस लेकर पीठासीन अधिकारी उस पर अपनी निम्नलिखित टिप्पणी लिखकर उसको निरस्त कर देंगे–

"मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया, अतः निरस्त"।

9 सम्बन्धित उम्मीदवारों को या उनके अभिकर्ताओं को यह अवगत करा दिया जाए कि जिस स्थान पर मतपेटियॉ सुरक्षित रखी जाएंगी वहॉ के लिये यदि वे चाहें तो अपना कोई व्यक्ति भी साथ में भेज सकते हैं। परन्तु यह ध्यान रखा जाय कि ऐसे व्यक्ति स्वयं के निजी वाहन से जायेंगे तथा मतदान दल के साथ कोई उम्मीदवार या कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। जिस कमरे में मतपेटियॉ रखी जानी हैं वहॉ पर खड़िया से फर्श पर मतदान स्थल के क्रमांक डाले जाएं जिससे कि उस मतदान स्थल की मतदान पार्टी जब वहॉ पहुॅचती है तो मतपेटियॉ उसी क्रमांक पर सुरक्षित रखी जा सकें। किसी भी पीठासीन अधिकारी को इस आशय की अनुमति न दी जाये कि वह मतदान की समाप्ति के बाद कुछ समय तक मत पेटियों को अपने पास रखें और विलम्ब से

उनको जमा करें। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाय कि ऐसा करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

10. यदि कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को अधिकृत करना चाहता है कि जिस कमरे में मतपेटियॉ रखी जा रही हैं उस पर निगरानी रखें तो उसको ऐसी अनुमति दी जा सकती है और दरवाजे पर उसको सील लगाने की भी अनुमति दी जा सकती है तथा कमरा खोले जाने के समय उम्मीदवार या उसके अधिकृत अभिकर्ता को बुला लेना चाहिए और जब भी ऐसा कमरा खोला जाना आवश्यक हो तो उसकी प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–10) में अंकित लाग बुक में की जानी चाहिए।

मतदान स्थल की रबर स्टैम्प, मतपत्र (बैलेट पेपर) पर निशान लगाने वाली सुभेदक चिह्न वाली रबर की मुहर सब एक लिफाफे में बंद और सील करके साथ में रखा जाना चाहिए।

मतदान का स्थगन केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता हैः–

1. बाढ़ या भारी हिमपात या गंभीर तूफान या अन्य दैवी आपदा मतदान के समय आ गयी हो जिससे मतदान कार्य प्रभावित हो।
2. मतपेटियों या मतपत्रों या आवश्यक निर्वाचन सामग्री को भारी नुकसान पहुॅच गया हो।
3. मतदान के समय मतदान स्थल पर इतनी शांति भंग हो गयी हो कि मतदान करना संभव न हो।
4. मतदान के समय मतदान स्थल पर पोलिंग अर्थात् मतदान कराने वाला दल न पहुॅच पाया हो और उसके पहुॅचने में रास्ते में कोई अपरिहार्य बाधा या रूकावट आ गयी हो।
5. कोई अन्य पर्याप्त कारण।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मतदान की कार्यवाही ऐसे दिनांक के लिए जो कि बाद में अधिसूचित किया जाएगा, स्थगित कर दी जाएगी। जहॉ मतदान की कार्यवाही को इस प्रकार स्थगित कर दिया जाए वहॉ इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।

जब कभी मतदान की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए तो निर्वाचन अधिकारी उन परिस्थितियों की सूचना तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को देगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान स्थगन की सूचना तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

मतदान होने वाले दिन निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी यथा संभव अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे। पीठासीन अधिकारी को भी पूर्व से यह ज्ञात होना चाहिए कि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी कहॉ उपलब्ध रहेंगे।

11 मतदान सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में किया गया है।

अध्याय–11
मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत मतगणना करायेगा। निर्धारित तिथि के अनुसार निश्चित समय व स्थान पर मतगणना का कार्य किया जायेगा, जिसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। उसकी सहायता के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में काम करेंगे।

2. ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण प्रत्याशियों के बीच हार जीत का अन्तर बहुत कम मतों का रहता है। अतः यह आवश्यक है कि मतगणना कार्य में वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी लगाये जायें।
3. यदि किसी कारण से मतगणना के कार्यक्रम या स्थान अथवा समय में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो निर्वाचन अधिकारी इस सम्बन्ध मे जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव भेंजेंगे। आयोग द्वारा परिवर्तन के लिए स्वीकृति दिये जाने की स्थिति में परिवर्तित तारीख व समय और स्थान की सूचना प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दी जाएगी।
4. मतगणना के लिए चयनित भवन का परिसर खुला व फैला हुआ होना चाहिए ताकि उसमें निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों, प्रत्याशियों तथा उनके अभिकर्ताओं के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान हो।
5. मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त होगा कि विद्युत के प्रवाह अचानक बंद होने की दशा में एक आपात उपयोगी (स्टैण्डबाई) डीजल जनरेटर की व्यवस्था की जाये।
6. मतगणना हाल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिएः–
   क. गणना सहायक और गणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति,
   ख. राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
   ग. निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लगाए गए लोक सेवक,
   घ. उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता,
7. दृढ़कक्ष (स्ट्रांग रूम), जहॉ मतगणना से पूर्व मतपेटियॉ रखी हों, से गणना हाल/स्थान तक सील बंद मतपेटियां भेजवाने और गणना के पश्चात् खाली मतपेटियां उठाने तथा मतपत्रों के पैकेट बनवाने एवं अन्य सामग्री सुरक्षित रखवाने के लिए भी आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को अपना यह समाधान करने के लिए कि मतपेटियॉ और मुहरें सही दशा में हैं, उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा।

9. यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ये सभी मतपेटियॉ, जिनकी उस स्थान पर मतगणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हैं और वे सही दशा में हैं तो वह मतपेटियों में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल वार प्रयुक्त मतपेटियों को एक साथ खोला जाएगा और उन मतपत्रों में से सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के मतपत्रों को अलग–अलग छॉट कर पद/स्थानवार रख दिया जायेगा तत्पश्चात् इनके 50–50 मतपत्रों के बंडल बनाये जायेंगे और उन पर स्लिप लगा दी जाएगी। 50 से कम मतपत्रों को अलग बंडल में स्लिप पर संख्या दर्शाते हुए लगाकर रखा जाएगा।

10. निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, ऐसे सभी मतपत्रों, जो निर्वाचन अधिकारी की राय में, अस्वीकृत किये जाने योग्य हों, निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा किंतु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाए, हिन्दी में देवनागरी लिपि में "अस्वीकृत" अभिलिखित करेगा।

11. मतदान स्थल की मतपेटियों के सभी मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे सभी मतपत्रों को एक पृथक् पैकेट में रखा जाएगा और उस पर ऐसे ब्यौरे अंकित होंगे जिससे मतदान स्थल, ग्राम पंचायत का नाम और निर्वाचन क्षेत्र जिससे सम्बन्धित मतपत्र हों, की पहचान हो सके।

12. मतगणना की समाप्ति के उपरान्त परिणाम की घोषणा भी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) द्वारा की जाती है। निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन प्रक्रिया उ0प्र0 पंचायत (राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 तथा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन बनाई गई उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी। इन नियमावली के विभिन्न उद्धरण इस पुस्तिका में आगे दिए गए हैं।

भाग–2

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1
पंचायत निर्वाचन मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

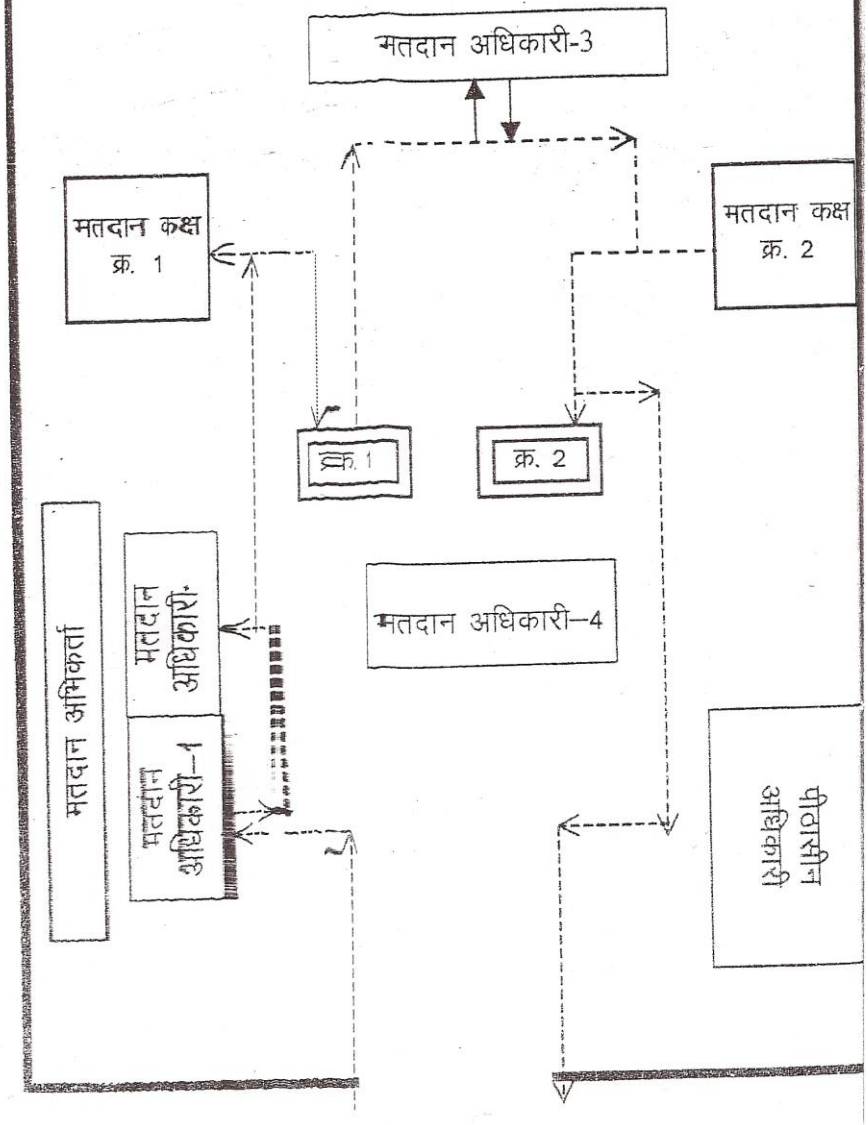

परिशिष्ट–1(क)

दो स्थानों/पदों के निर्वाचन की स्थिति में पंचायत निर्वाचन मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

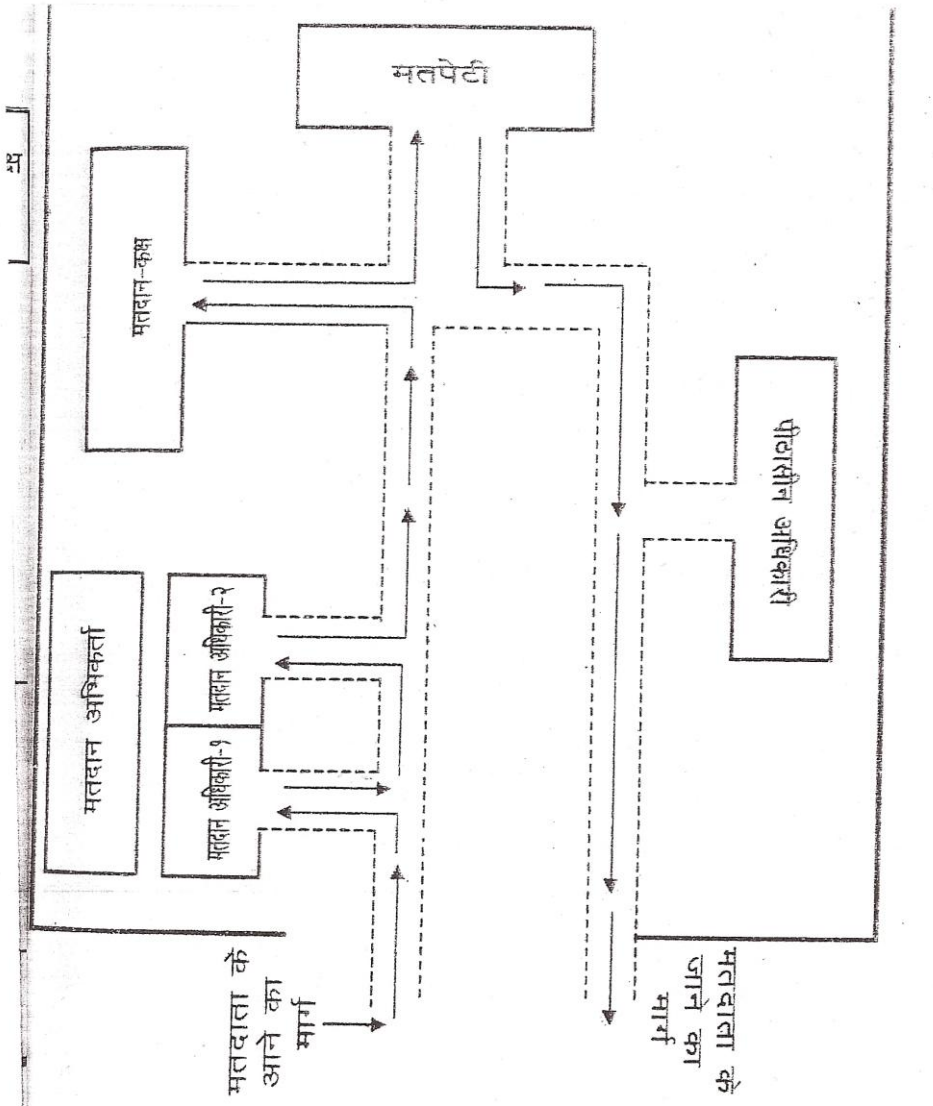

परिशिष्ट–2
उत्तर प्रदेश
ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रधान के लिए नाम निर्देशन पत्र
(नियम 69 (1) देखिए)

संख्या
मूल्य–अनारक्षित श्रेणी–रू0 300/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 150/–
प्रतिपर्ण
ग्राम पंचायत का निर्वाचन
ग्राम प्रधान के लिए नाम निर्देशन पत्र
1– खरीदने वाले का नाम
.....
2– दिनांक
.....
बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

संख्या
मूल्य–अनारक्षित श्रेणी– रू0 300/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 150/–
1–उम्मीदवार का नाम.....
2–पिता/पति का नाम.....
3–आयु.....
4–ग्राम पंचायत का नाम.....
विकास खण्ड.....तहसील.....
जिला.....
5–यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग का सदस्य है तो उस जाति/वर्ग का नाम जिसका वह सदस्य है.....
6–महिला/पुरूष.....
7–ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या.....वार्ड संख्या.....
8–प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री.....
पिता/पति का नाम.....
मतदाता क्रम संख्या.....
वार्ड संख्या.....

प्रस्तावक का	उम्मीदवार का
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
या	या
निशान अंगूठा	निशान अंगूठा

स्थान.....
दिनांक.....

नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जांच की सूचना
(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)
संख्या.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नाम.....
जो ग्राम पंचायत के प्रधान के पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....दिनांक.....को.....बजे.....
उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच दिनांक.....को.....बजे.....(स्थान) में की जायेगी।

दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट–2क
उत्तर प्रदेश
ग्राम पंचायत का निर्वाचन सदस्य के लिए नामनिर्देशन पत्र
(नियम 15 (1) देखिए)

संख्या
मूल्यःअनारक्षित श्रेणी–रू0 150/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 75/–
प्रतिपर्ण
सदस्य ग्राम पंचायत का निर्वाचन
सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र
1– खरीदने वाले का नाम
.....
2– दिनांक
.....
बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

संख्या
मूल्य–अनारक्षित श्रेणी–रू0 150/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 75/–
1–उम्मीदवार का नाम.....
2–पिता/पति का नाम.....
3–आयु.....
4–ग्राम पंचायत का नाम.....
विकास खण्ड.....तहसील.....
जिला.....
5–यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग का सदस्य है तो उस जाति/वर्ग का नाम जिसका वह सदस्य है.....
6–महिला/पुरूष.....
7–ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या.....वार्ड संख्या.....
8–प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री.....
पिता/पति का नाम.....
मतदाता क्रम संख्या.....
वार्ड संख्या.....

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा
स्थान.....
दिनांक.....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा

नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जांच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)
संख्या.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नाम.....
जो सदस्य ग्राम पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....दिनांक.....को.....बजे.....
उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच दिनांक.....को.....बजे.....(स्थान) में की जायेगी।
दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट–2ख
उत्तर प्रदेश
क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र
(नियम 16 (1) देखिए)

संख्या
मूल्य–
अनारक्षित श्रेणी–रू0 300/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 150/–
प्रतिपर्ण
सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन
सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र
1– खरीदने वाले का नाम
.....
2– दिनांक
.....
बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

संख्या
मूल्य–अनारक्षित श्रेणी–रू0 300/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 150/–
1–उम्मीदवार का नाम.....
2–पिता/पति का नाम.....
3–आयु.....
4–ग्राम पंचायत का नाम.....
विकास खण्ड.....तहसील.....
जिला.....
5–यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग का सदस्य है तो उस जाति/वर्ग का नाम जिसका वह सदस्य है.....
6–महिला/पुरूष.....
7–ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या.....
वार्ड संख्या.....
8–प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री.....
पिता/पति का नाम.....
मतदाता क्रम संख्या.....
वार्ड संख्या.....

प्रस्तावक का हस्ताक्षर
या
निशान अंगूठा

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
या
निशान अंगूठा

स्थान.....
दिनांक.....

नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जांच की सूचना
(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)
संख्या.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नाम.....
जो सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....दिनांक.....को.....बजे.....
उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जांच दिनांक.....को.....बजे.....(स्थान) में की जायेगी।
दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट–2ग
उत्तर प्रदेश
जिला पंचायत का निर्वाचन सदस्य के लिए नामनिर्देशन पत्र
(नियम 16 (1) देखिए)

संख्या
मूल्य–
अनारक्षित श्रेणी–रू0 500/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 250/–
प्रतिपर्ण
सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन
सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र
1– खरीदने वाले का नाम .....
2– दिनांक .....
बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

संख्या
मूल्य–अनारक्षित श्रेणी–रू0 500/–
आरक्षित श्रेणी–रू0 250/–
1–उम्मीदवार का नाम.....
2–पिता/पति का नाम.....
3–आयु.....
4–ग्राम पंचायत का नाम.....
विकास खण्ड.....तहसील.....
जिला.....
5–यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्ग का सदस्य है तो उस जाति/वर्ग का नाम जिसका वह सदस्य है.....
6–महिला/पुरूष.....
7–ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या.....
वार्ड संख्या.....
8–प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री.....
पिता/पति का नाम.....
मतदाता क्रम संख्या.....
वार्ड संख्या.....

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा

उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा

स्थान.....
दिनांक.....

नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जांच की सूचना
(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)
संख्या.....
श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पिता/पति का नाम.....
जो सदस्य जिला पंचायत के पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....दिनांक.....को.....बजे.....
उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच दिनांक.....को.....बजे..... (स्थान) में की जायेगी।
दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट–3
नाम निर्देशन की सूचना
ग्राम पंचायत* / क्षेत्र पंचायत* / जिला पंचायत*

ग्राम पंचायत सदस्य * / प्रधान
सदस्य क्षेत्र पंचायत* / जिला पंचायत*

नाम निर्देशन पत्रा की क्र0सं0	उम्मीदवार का का नाम	पिता / पति का नाम	उम्मीदवार की आयु	पता	अनु0जाति या अनु0जनजाति या अ0पि0व0 का यदि हो तो जाति का विवरण	उम्मीदवार का मतदाता सूची क्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का मतदाता सूची में क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तारीख.....
स्थान.....

रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग आफिसर
(पंचायत)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–4
संयुक्त प्रान्त
पंचायत राज अधिनियम, 1947
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–9, सन् 1994 यथासंशोधित)
के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण
अध्याय–2
ग्राम पंचायत के सदस्य की अनर्हता और निर्वाचक नामावली इत्यादि

5–क. ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता–कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिए और होने के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह होः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

(ख) वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो,

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न,किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है,

(घ) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो,

(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर,फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किए जाने पर भी, विफल रहा हो,

(च) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो,

(छ) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो,

(ज) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो,

(झ) उसे एसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) एक्ट, 1946 या यू0पी0 कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) एक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो,

(ञ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो,

(ट) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

(ठ) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

(ड) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम,1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो, या

(ढ) उसे धारा–95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) या (4) के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था

की गई हो, या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसी कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गयी हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (घ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), या (ड) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से, जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम प्रतिबंधात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकती है।

11–च. पंचायत क्षेत्र की घोषणा– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिनकी जनसंख्या, यथासाध्य, एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विर्निदिष्ट किया जाये, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती हैः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनो के लिए ,विभाजित नहीं किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ, देहरादून, टिहरी, पौडी, उत्तरकाशी या चमौली के पर्वतीय जिलों में इस अधिनियम की धारा 3,जैसी कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, के अधीन गठित किसी गॉव सभा के क्षेत्र को यद्यपि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से कम हो, राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, किसी, भी समय–

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है,

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है, या,

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

12– ग्राम पंचायत–(1) (क) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संघटित की जायेगी।

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी,

(ग) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या–

(एक) एक हजार तक हो, नौ सदस्य होंगे,

(दो) एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होंगे, या,

(तीन) दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, तेरह सदस्य होंगे, या

(चार) तीन हजार से अधिक हो, पन्द्रह सदस्य होंगे।

(घ) ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनो के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य, एक ही हो,

(ङ) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

परिशिष्ट–5
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–9, 1994 यथासंशोधित)
के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण
अध्याय–2
(क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत)
(क्षेत्र पंचायत)

1. **ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन**– राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमाएं या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नए खण्ड बना सकती है।

धारा–5 क्षेत्र पंचायत की स्थापना और उसका निगमन–

1. प्रत्येक खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड के नाम पर होगा और जो एतत्पश्चात् उपबन्धित प्रकार से संघटित की जाएगी।
2. क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

धारा–6 क्षेत्र पंचायत की रचना–

1. क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका पीठासीन होगा, और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–
   - क. खण्ड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान,
   - ख. निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, दो हजार होगी,
   - ग. लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट हैं,
   - घ. राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।
2. उपधारा (1) के खण्ड (क),(ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।
3. उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जाएगा।

धारा–13 क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता– कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और उसका सदस्य होने के लिए अनर्हित होगा यदि–

क. उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया हो,

प्रतिबंध यह है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

ख. वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संयुक्त

प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित किसी न्याय पंचायत के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो,

ग. वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी न्याय पंचायत या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो,

घ. उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी कि नियत की जाए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र या जिला पंचायत के अन्तर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी विफल रहा हो,

ङ वह अनुन्मोचित दिवालिया हो,

च. वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो,

छ. उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन बनाये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो,

ज. उसे एसेंशियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) एक्ट, 1946 अथवा यू0पी0 कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छह मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो,

झ. उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो,

ञ. उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

ट. उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो,

ठ. उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम,1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया गया हो,

ड. उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो,

ढ. धारा–23 के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण किया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो, या

ण. उसे क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो,

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड(ग),(ड.),(च),(छ),(ज),(झ),(ञ),(ट) या (ठ) के अधीन अनर्हता की अवधि, ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड(ड.) के अधीन अनर्हता न रह जाएगीः

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं खण्डों के अधीन कोई अनर्हता नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा हटाई जा सकती है।

(जिला पंचायत)

धारा–17 जिला पंचायतों की स्थापना तथा उसका निगमन–(1)– प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा और जो एतत्पश्चात् उपबंधित प्रकार से संघटित की जाएगी।

2. जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

धारा–18 जिला पंचायत की रचना–(1)–जिला पंचायत एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः–

क. जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख,

ख. निर्वाचित सदस्य, जो जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, पचास हजार होगी,

ग. लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है,

घ. राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

2. उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

3. उप धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

धारा–23 **भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता–**(1)– इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई प्राधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाये कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत दे सकती हो या जो उसके अधिकार में हो नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है।

2. किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा–

(1) किसी मतदाता को कपट, साशय मिथ्या निरूपण अथवा उत्पीड़न करके या हानि पहुंचाने की धमकी देकर, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अथवा मत न देने के लिए प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है,

(2) किसी मतदाता को, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत न देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धनराशि या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करता है अथवा देता है या किसी व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन देता है।

(3) किसी ऐसे मतदाता के नाम से मत देता है या दिलवाता है जो मत देने वाला व्यक्ति नहीं है।

(4) खण्ड (1),(2) और (3) में निर्दिष्ट किसी कृत्य को करने के लिए (इंडियन पीनल कोड के अर्थ में) अभिप्रेरित करता है,

(5) किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें वह अभिरूचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा का भागी होगा या बना दिया जायेगा,

(6) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर मतसंयाचना करता है।

(7) कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्टाचार नियत करे।

स्पष्टीकरणः—

किसी व्यक्ति को "व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन" के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के जिसमें वह अभिरूचि रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में किसी विशिष्ट बात के पक्ष या विरोध में मत देने का वचन नहीं है।

धारा—26सदस्य या अध्यक्ष होने के लिए अनर्हता— जो व्यक्ति धारा—13 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा—18 के अधीन सदस्य के रूप में अथवा धारा—19 के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए अनर्ह होगा।

परिशिष्ट–6

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण

1. **मतदान स्थल में प्रवेश–नियम–23** (1)– मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनियमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा–

   क. मतदान अधिकारी,

   ख. प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,

   ग. पुलिस अधिकारी और कर्तव्यारूढ अन्य लोकसेवक,

   घ. निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

   ड. अन्धे या अशक्त निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल फिर न सकते हों, साथ का व्यक्ति, और

   च. ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय–समय पर आने दें।

2. **मतदान अध्यक्ष–नियम–14(2)**– मतदान अध्यक्ष नियम–14(2) के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगाः

   प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचकों को जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थिति हों, अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा।

   यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उप नियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाये या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

3. **मतदान की प्रक्रिया–नियम–24**– इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदानपत्र पर चिह्न लगाकर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और

   कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (PROXY) की रीति से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. **मतपत्र–नियम–25 (1)** – प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

   (2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगायी जा सकेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।

5. **मतपेटियां–नियम–26 (1)** – प्रत्येक मतपेटी ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

   (2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मतपत्र डाला जा सके किंतु तत्पश्चात् मतपेटी को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके।

   (3) प्रत्येक मतपेटी या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर ऐसा अन्य सुभेदक चिह्न भी लगाया जायेगा, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।

6. **मतदान की सूचना–नियम–27–** मतदान का स्थान और मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगाः–

   क. मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थल या मतदान केन्द्र पर मत देना हो, और

   ख. नियम–19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि।

7. **मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था–नियम–28–** मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर अभिलिखित कर सके जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें।

8. **मतदान स्थल पर मतपत्र और अन्य सामग्रियों का उपलब्ध कराया जाना–नियम–29–** निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगाः–

   क. उतनी मतपेटियां जितनी आवश्यक हों,

   ख. पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के जहॉ के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के हकदार हों, मतदान क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां और,

   ग. अन्य उपकरण और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों,

9. **मतदान के लिए मतपेटियों की तैयारी–नियम–30(1)–**मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हैं।

   (2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटी बन्द कर दी जायेगी और जहॉ मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहर का प्रयोग करना आवश्यक हो तो वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मुहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उसके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवाएगा, जो उपस्थित हों और उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

   (3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष ऐसे हस्ताक्षरित या मुहर लगाई हुई कागज की मुहर मतपेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगायेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उपस्थित हों, ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिए छिद्र खुला रहे।

   (4) जहॉ मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग आवश्यक न हो, वहॉ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को ऐसी रीति से सुरक्षित और मुहर बन्द करेगा कि मतपत्रों को डालने के लिए छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को, जो कि उपस्थित हों, यदि वे इच्छुक हों, अपनी मुहरें लगाने की अनुमति देगा।

10. **मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी का रखा जाना–नियम–31** – मतपत्रों को डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी को मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने रखा जायेगा।

11. **निर्वाचकों की पहचान–नियम–32(1)–** मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जैसा उपयुक्त समझे निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता करने के लिए सेवायोजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य व्योरों की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और तब निर्वाचक की क्रम संख्या, नाम और अन्य ब्योरे पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता निर्वाचक विशेष होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान पर आपत्ति कर सकता है और जहां ऐसी आपत्ति की जाये तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए आपत्तिकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि अपनी आपत्ति के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करें और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सिद्ध नहीं हुई है तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी त्रुटियों की अनवेक्षा करेगा, किंतु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाये कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है।

12. **निर्वाचकों को मतपत्र जारी करना–नियम–33(1)–** किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र जारी कर दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करते समय मतदान अध्यक्ष ऐसी रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, उसकी क्रम संख्या उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसे इस नियमावली में एतत्पश्चात् "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

13. **मतदान स्थल के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया–नियम–34–**

(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम–33 के या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, मतदान स्थल के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् दी गई मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल–

क. मतदान कोष्ठों मे से एक में जायेगा,

ख. उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिए वह मतदान करना चाहता हो, उस प्रयोजन के लिए दिये उपकरण से मतपत्र में चिह्न बनायेगा,

ग. मतपत्र को इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत छिप जाये,

घ. यदि अपेक्षा की जाये तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा,

ड. मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा, और,

च. मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को इसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र जारी कर दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अधिकारी मतदान अध्यक्ष के निर्देशाधीन उसे दिये गये मतपत्र को, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिए जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द "**रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन**" अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र जिन पर "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक् लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "मतपत्रः मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उप नियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है जिम्मेदार हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

14. **अन्धे या अशक्त निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेख–नियम–35 (1)–** यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों का बिना सहायता के पहचानने या उस पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को उसकी ओर से उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाये और उसे मतपेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी जो अट्ठारह वर्ष से कम न हो मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान स्थल पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान स्थल पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख विहित प्रपत्र में रखेगा।

(3) किसी मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष किसी निर्वाचक द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किए जाने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिए गए अनुदेशों को उसे स्पष्ट करेगा।

15. **किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना–नियम–36(1)–** यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का निश्चय करे तो वह उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2)प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "**रद्द किया गया, लौटाया गया**" अंकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए लिफाफे में रखा जाएगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3)यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो उसे मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द "खराब और रद्द किया गया" अंकित किया जाएगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए लिफाफे में रखा जाएगा।

16. **मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश करना–नियम–37(1)–** यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक जो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करें तो उनके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो ऐसा करना चाहें, प्रवेश कर सकेंगे।

17. **मतपेटियों के बाहर पाए गए मतपत्र–नियम–38–** यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को जारी किया गया हो उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाए और यह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाए तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और उसके सम्बन्ध में नियम–36 में दी गई रीति से कार्यवाही की जाएगी।

18. **निविदत्त मत–नियम–39(1)–** यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधान पूर्वक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछे, मतपत्र दिया जाएगा जिसके दूसरी ओर मतदान अध्यक्ष स्वयं शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिए जाने के पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम–34 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा किन्तु अपना मतपत्र मतपेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदित्त मतपत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जाएगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए एक लिफाफे में तुरन्त रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

19. **मतदान के पश्चात् मतपेटियों आदि का मुहरबन्द किया जाना–नियम–40(1)–** मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहाँ पेटी मे छेद को बन्द करने के लिए यान्त्रिक युक्ति नहीं है वहाँ उस छेद पर मुहर लगाएगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हो उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मतपेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगाई जाएगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जाएगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग–अलग पैकेट बनाएगा–

क. एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,
ख. रद्द किए गए मतपत्र,
ग. निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,
घ. उपयोग में न लाए गए मतपत्र, और
ङ ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हो,

(4). प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मुहर लगाई जाएगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

20. **मतपत्रों का लेखा–नियम–41–** मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्र लेखा तैयार करेगा।

21. **मतपेटियों आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण–नियम–42–** नियम–40 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों को मुहरबन्द कर दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मतदान अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी को उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर–

क. मतपेटियाँ,
ख. नियम–40 में निर्दिष्ट पैकेट,
ग. मतदान लेखा, और
घ. मतदान में उपयोग में लाए गए सभी अन्य पत्र भेजेगा या भेजवाएगा।

22. **मतपेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा–नियम–43–** निर्वाचन अधिकारी नियम–42 में निर्दिष्ट सभी मतपेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करेगा।

23. **आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन–नियम–44(1)–** यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्वा या हिंसा द्वारा अवरोध किया जाए या बाधा डाली जाए या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनाँक तक जो बाद में अधिसूचित किया जाएगा, मतदान स्थगित किए जाने की घोषणा करेगा और जहाँ मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाए मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाए तो निर्वाचन अधिकारी उन परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्य शीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहाँ पर तथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जाएगा, नियत करेगा और उसे ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान कराएगा और इस अध्याय के उपबन्ध नए मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के संबंध में लागू होते हैं।

24. **मतपेटियों के नष्ट कर दिए जाने आदि की दशा में नया मतदान–नियम–45(1)–** यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मतपेटी अवैध रूप से ले ली जाए अथवा किसी प्रकार से वह बिगाड़ दी जाए या दुर्घटनावश अथवा साशय नष्ट कर दिया जाए या खो जाए तो ऐसे मतदान स्थल जिससे संबंधित वह मतपेटी हो, के संबंध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाए तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अमान्यीकरण कार्य या घटना करने वाले की जानकारी होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नए मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहाँ पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जाएगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान कराएगा और इस अध्याय के उपबन्ध नए मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

25. **शास्तियाँ–नियम–61–** किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो–

क. नियमों का उल्लंघन करके निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करे, या

ख. इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले, या हस्तक्षेप करे, या

ग. किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाए गए या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाए, उलट पलट करे या हटाए तो वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पाँच सौ रूपए तक हो सकता है।

परिशिष्ट–7

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण

1. **निर्वाचन का संचालन–नियम–4(1)**– राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए अधिनियम की धारा–6 या धारा–18 के अधीन सामान्य निर्वाचन का संचालन इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

   (2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

2. **निर्वाचन अधिकारी–नियम–5(1)**– प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा।

   (2) निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन सम्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और किसी निर्वाचन में यह उसका सामान्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम, नियमावली और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन के प्रभावी ढंग से संचालन के लिए आवश्यक हो।

   (3) उपनियम (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझें, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का, जो उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, मतदान स्थल पर ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा।

3. **सहायक निर्वाचन अधिकारी–नियम–6(1)–** जिला मजिस्ट्रेट किसी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

   (2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, निर्वाचन अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

   (3) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में वह सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित समझा जाएगा जो ऐसे किसी कृत्य का सम्पादन कर रहा है जिसे सम्पादित करने के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत है।

4. **मतदान स्थल–नियम–7–** निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन स्थलों को विनिर्दिष्ट करेगा।

5. **मतदान अध्यक्ष–नियम–8(1)–** निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा सम्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और यह उसका सामान्य कर्तव्य होगा कि मतदान स्थल पर शान्ति बनाए रखें और यह देखें कि मतदान सुचारू रूप से हो रहा है।

(3) यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से स्वयं को अनुपस्थित होने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहले से प्राधिकृत किया गया हो।

(4) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश में वह व्यक्ति भी सम्मिलित समझा जाएगा जो मतदान अध्यक्ष के ऐसे किसी कृत्य का सम्पादन कर रहा है जिसे सम्पादित करने के लिए वह उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत है।

6. **साथ–साथ निर्वाचन–नियम–10–** यदि क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों के निर्वाचन ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों के साथ–साथ होते हैं तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अधीन इस रूप में नियुक्त मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए भी मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी होंगे।

7. **निर्वाचन अभिकर्ता–नियम–11(1)–** किसी निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के किसी निर्वाचक को लिखित रूप में अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जिसके सम्पादन के लिए निर्वाचन अभिकर्ता इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत है।

8. **मतदान अभिकर्ता–नियम–12(1)–** निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचकों में से एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर उस उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) नियुक्ति एक लिखित पत्र द्वारा की जाएगी जिसे मतदान अध्यक्ष को मतदान आरम्भ होने से पूर्व दे दिया जाएगा।

9. **नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और मूल्य–नियम–13–** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों

की छपाई और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य सदस्य क्षेत्र पंचायत या सदस्य जिला पंचायत के रूप में निर्वाचन के लिए उतना होगा, जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से नियत किया जाए।

10. **प्रतीकों की सूची–नियम–14**–राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करेगा।

11. **निर्वाचन की सूचना और दिनाँक का निर्धारण–नियम–15(1)–** जब कभी सामान्य निर्वाचन होने वाला हो तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे दिनाँक के पूर्व जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाए, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करें:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले में सभी क्षेत्र पंचायतों के लिए एक ही सूचना जारी करने से नहीं रोकेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देशों के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं, अधीन रहते हुए,

क. नाम निर्देशनपत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनाँक, स्थान और समय;

ख. नाम निर्देशनपत्रों की जाँच करने के लिए दिनाँक, समय और स्थान;

ग. उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दिनाँक, स्थान और समय; और

घ. दिनाँक या दिनाँकों को जब और समय जिनके बीच, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा; भी नियत करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपनियम (1) और (2) के अधीन नियत दिनाँकों, स्थानों और समय की सार्वजनिक सूचना देगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन सूचना में नियम–7 के अधीन नियत मतदान स्थल को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

12. **नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना–नियम–16(1)–** किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किए जाने का इच्छुक व्यक्ति, निर्वाचन अधिकारी को स्वयं या अपने प्रस्तावक द्वारा नियम–15 के उप नियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियत दिनाँक और स्थान और समय के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्ण किए गए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान पर निर्वाचन लड़ना चाहता है तो नाम निर्देशन पत्र के साथ जनजाति या जाति विशेष जिसका वह हो विनिर्दिष्ट करते हुए उसके द्वारा दी गई घोषणा होगी कि वह

यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का सदस्य है।

(3) कोई भी नाम निर्देशन पत्र जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए नियत दिनाँक को उस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त नहीं होता है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(4) इस नियमावली में दी गई कोई बात किसी उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नाम निर्देशित किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(5) यदि नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत दिनांक को इस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न हो तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

13. **नाम निर्देशन पत्रों की सूचना–नियम–17–** नियम–16 के अधीन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी, उसे प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति को नाम निर्देशनों की जांच के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, और नाम निर्देशन पत्र पर उसकी क्रम संख्या डालेगा, और अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणपत्र अंकित करेगा कि किस दिनांक और किस समय उसका नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्राप्त नाम निर्देशनों की एक सूची भी तैयार करेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

14. **नाम निर्देशनों की जांच–नियम–18(1)–** नाम निर्देशनों की जांच के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जो नियम–16 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गये हों, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उनको नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं देने के पश्चात् जांच करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है–

(क) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के अर्ह नहीं है,

(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम की धारा–13 या धारा–26 के अधीन स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अनर्हित है,

(ग) कि नियम–16 के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है, या

(घ) कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्रामाणिक नहीं है या कपट द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को किसी तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के कारण जो सारवान न हो, अस्वीकृत नहीं करेगा और किसी ऐसे

दोष या त्रुटि को दूर करने के प्रयोजन से नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुमति दे सकता है।

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर उसको स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो अस्वीकृति के उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(4) नामनिर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगा जिनके नामनिर्देशन उसने स्वीकार किया है और ऐसे उम्मीदवारों की एक सूची तैयारी करेगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमालानुक्रम में उनके नामनिर्देशन पत्रों में दिए गए विवरणों के साथ होंगे।

(5) यदि समस्त नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिए गए हों तो निर्वाचन अधिकारी उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

15. **उम्मीदवारी की वापसी–नियम–19–** कोई भी उम्मीदवार लिखित सूचना द्वारा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और जो स्वयं उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को नियम–15 के अधीन वापसी के लिए नियत दिनांक को और समय के भीतर दी जाएगी, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। एक बार दी गई सूचना वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

16. **निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन–नियम–20(1)–** नियम–15 के अधीन उम्मीदवारी के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रम में उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे कि वे उनके नाम, नाम निर्देशन पत्रों में दिए गए हों। वर्णमाला के क्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जाएगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करने के साथ–साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए अलग–अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अन्तिम होगा सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं निदेशों से असंगत हो और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित प्रतीक की सूचना तुरन्त दी जाएगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जाएगा।

17. **निर्विरोध निर्वाचन–नियम–21(1)–** जहां नियम–20 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए लड़ने वाला सम्यक् रूप से उम्मीदवार केवल एक ही है तो ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त निर्विरोध घोषित कर देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों और स्थानों के प्रकार उन (आरक्षित या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए थे और रिक्त रह गए दोनों प्रकार के स्थानों की संख्या की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

18. **सविरोध निर्वाचन–नियम–22–** जहां नियम–20 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह तुरन्त सूची को उस रीति में प्रकाशित करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करें और वह इस बात की भी घोषणा करेगा कि मतदान उस दिनांक को और उस स्थान पर और समय के भीतर किया जाएगा जो इसके लिए नियत किए जाएं।

परिशिष्ट–8
विधिमान्य नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत* / क्षेत्र पंचायत* / जिला पंचायत *.....के
वार्ड / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक *.....के ग्राम पंचायत सदस्य * / प्रधान*
/ क्षेत्र पंचायत सदस्य * / जिला पंचायत सदस्य * के लिए निर्वाचन–

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	पिता / पति का नाम	उम्मीदवार का पता
1	**2**	**3**	**4**

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थान.....
तरीख.....

* जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–9
नाम निर्देशन वापस लेने वाले उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत*/क्षेत्र पंचायत*/जिला पंचायत*.....के वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक *.....के ग्राम पंचायत सदस्य */प्रधान* /क्षेत्र पंचायत सदस्य */जिला पंचायत सदस्य * के लिए निर्वाचन–

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	उम्मीदवार का पता
1	2	3	4

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थान.....
तरीख.....

* जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–10

पंचायत निर्वाचन लाग बुक

जिला.....
विकास खण्ड.....

भवन/कक्ष.....जहॉ पर मतपेटिकाएं मतगणना किये जाने हेतु सुरक्षित रखी गयी हैं।

मतपेटी रखे जाने का दिनांक व समय	प्रवेश करने वाले अधिकारी का पद व नाम	प्रवेश का उद्देश्य	अधिकारी के साथ जाने वाले अन्य व्यक्ति का विवरण	हस्ताक्षर	पुलिस गार्ड के हस्ताक्षर	बाहर निकलने का समय	अधिकारी के साथ बाहर रहने वाले अन्य व्यक्ति का विवरण	कक्ष के अन्दर की अवधि	बाहर आने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	पुलिस गार्ड हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12